सत्यमेव जयते

संख्या : ― /जी0एस0(शिक्षा)/A15-20/2019

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक : 10 मई, 2022**

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–8123/एचएनबीयूएमयू/2019–20 दिनांक 13 फरवरी, 2020, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से आपके द्वारा चिन्मय एडवांस रिसर्च एजुकेशन, केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हरिद्वार को बी0–एससी0 (नर्सिंग) एवं पोस्ट बेसिक बी0–एससी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलपति की संस्तुति एवं कुलसचिव की आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम–2014 की धारा–36(1) के अर्न्तगत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण पर मा0 कुलाधिपति द्वारा छात्रहित में अनुमति/स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :–

महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4
चिन्मय एडवांस रिसर्च एजुकेशन, केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हरिद्वार।	**बी0–एससी0 (नर्सिंग)**	**40**	**2019–20**
	पोस्ट बेसिक बी0–एससी0 (नर्सिंग)	**20**	

(1) संस्थान से प्राभूति धनराशि सम्बन्धी तथ्यों की पूर्ति कराने के साथ–साथ निरीक्षण मण्डल की आख्या/संस्तुति के दृष्टिगत कार्यपरिषद् व नियामक संस्था के मानक पूर्ण होने के उपरान्त सम्ब्द्धता विस्तारण सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व कृत कार्रवाई की सूचना से मा0 कुलाधिपति जी को अवगत करायें।

(2) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव ससमय निर्धारित मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 504 (1)/जी0एस0 (शिक्षा)/A15-20/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, चिन्मय एडवांस रिसर्च एजुकेशन, केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हरिद्वार।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।